



उ0प्र0 सूचना आयोग में दायर अपीलों/शिकायतों पर राष्ट्र सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेशों की नकल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पूर्व पारित आदेश 20/सं0रजि0/उ0प्र0सू0आ0/2017, दिनांक 15.02.2017 के प्रस्तर-4, 6 तथा 14 को नियमानुसार संशोधित किया जाता है :

वर्तमान प्रस्तर	संशोधित प्रस्तर
4— यदि पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रतिनिधि को नकल आवेदन के साथ, पक्षकार द्वारा दिया गया प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्राधिकार-पत्र में यह सुन्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि पक्षकार द्वारा आवेदक को नकल आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा नकल प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है।	यदि पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रतिनिधि को, नकल आवेदन के साथ, पक्षकार द्वारा दिया गया प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्राधिकार-पत्र में यह सुन्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि पक्षकार द्वारा आवेदक को नकल आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा नकल प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है।
6— किसी आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर शुल्क रु010/- निर्धारित किया जाता है। यह शुल्क आवेदन पत्र के साथ रु0 10/- मूल्य के कौटं स्टाम्प के रूप में नत्थी किया जायेगा।	किसी आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर शुल्क रु010/- निर्धारित किया जाता है। यह शुल्क आवेदन पत्र के साथ रु0 10/- मूल्य के कौटं फी स्टाम्प के रूप में नत्थी किया जायेगा। यदि कोई नकल आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त किया जाता है तो प्रभारी लिपिक, नकल अनुभाग अधिलब्ध नकल आवेदन के साथ नत्थी किए गए स्टाम्प टिकट को आवेदक को वापस कर देगा तथा वापस दिए जाने की प्राप्ति, नकल रजिस्टर के उसी कॉलम में प्राप्त कर लेगा जिसमें आदेश की नकल दिये जाने की प्राप्ति कराई जाती है। यह प्राप्ति लाल, स्याही से कराई जाएगी।



14— यदि निर्धारित तिथि पर नकल तैयार नहीं हो पाती है तो आवेदक के पास उपलब्ध नकल आवेदन पत्र की रसीद पर नकल उपलब्ध कराने की नई तिथि अंकित की जायेगी, जो पुरानी तिथि से 15 दिन आगे की होगी, तथा इसको प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

यदि निर्धारित तिथि पर नकल तैयार नहीं हो पाती है तो आवेदक के पास उपलब्ध नकल आवेदन पत्र की रसीद पर नकल उपलब्ध कराने की नई तिथि अंकित की जायेगी, जो पुरानी तिथि से 15 दिन आगे की होगी, तथा इसको प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रभारी लिपिक, नकल अनुभाग का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक कार्य दिवस अपराह्न 3:00 बजे तक, तैयार नकलों की सूची बनाएँ तथा इस सूची की एक प्रति अपराह्न 3:30 बजे तक नोटिझ-बोर्ड पर चस्पा करें तथा एक प्रति पत्रावली पर संरक्षित करें। यह प्रक्रिया प्रत्येक कार्य दिवस अपनाई जाएगी।

प्रतिलिपि अनुभाग के गठन एवं कार्य प्रणाली से सम्बन्धित पूर्व पारित आदेश 20/संयुक्त रजिभ/उ0प्र0सू0आ0/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2017 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

उपर्युक्त आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (4) के तहत जारी किया जा रहा है।

(जावेद उस्मानी)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उ0प्र0 सूचना आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्र सं0 69 /संयुक्त रजिभ/उ0प्र0सू0आ0/2017,

दिनांक: 13 नवम्बर, 2017

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मार्ग राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग।
2. सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
3. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग।
4. प्रतिलिपि अनुभाग प्रभारी को अनुपालनार्थ।
5. अधिष्ठान अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग।
6. गार्ड फाइल।

(जितेन्द्र मिश्रा)
प्रभारी सचिव